राजस्थान सरकार

कार्यालय अतिरिक्त निदेशक,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,

(साधारण बीमा निधि)

वित्त भवन, डी–ब्लॉक, द्वितीय तल, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर

PHONE : 2740219, 2740292 email:add.gis.sipf@rajasthan.gov.in

निविदा प्रपत्र

मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना 'डी' ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जयपुर हेतु कार्यालय उपयोग हेतु वर्क स्टेशन क्रय करने हेतु निविदा प्रपत्र

निविदा प्रपत्र का मूल्य 200/–(रूपये दो सौ मात्र) अमानत राशि 6400/–

नोटः–

(1) इस बोली प्रपत्र के साथ 'ए' से 'जी' परिशिष्ट संलग्न है।

1. तकनीकी बोली प्रपत्र – परिशिष्ट 'ई'
2. वित्तीय बोली प्रपत्र – परिशिष्ट 'एफ'
3. निविदा की शर्तें – परिशिष्ट 'जी'
4. अन्य परिशिष्ट ए से डी ।

(2) निविदाऐं दो पृथक–पृथक लिफाफों में अलग अलग तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत करनी है।

(3) तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ सील बंद लिफाफे में निम्न प्रपत्र दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है तथा सीलबंद लिफाफे पर ''वर्क स्टेशन कय करने का निविदा प्रपत्र'' अंकित करना होगा।

1. फर्म/कंपनी/संस्था/एजेन्सीज का पंजियन/रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
2. अमानत राशि का डी.डी संलग्न करना होगा।
3. बिड निविदा शुल्क 200/– का बैंकर्स चैक/डीडी/रसीद संलग्न करनी होगी।
4. फर्म का पैन कार्ड नम्बर के दस्तावेज।
5. जीएसटी पंजीयन का प्रमाण पत्र (नियमानुसार)।

(4) जिन फर्मो/ठेकेदारों की तकनीकी निविदायें उपयुक्त पाई जायेगी उन्हीं फर्मो के वित्तीय प्रस्तावों की निविदाएं खोली जायेगी, अन्य फर्मो को अयोग्य माना जायेगा। वित्तीय निविदा प्रपत्र अलग लिफाफे में रखा जायेगा। इस लिफाफे पर वित्तीय निविदा अंकित करते हुए लिफाफे को सीलबंद किया जायेगा।

(5) ''**तकनीकी निविदा**'' और ''**वित्तीय निविदा**'' के अलग अलग सीलबंद दोनों लिफाफों को एक तीसरे लिफाफे में रखकर उक्त बडे लिफाफे को भी सीलबंद करना होगा तथा उक्त बडे लिफाफे पर ''वर्क स्टेशन कय करने का निविदा प्रपत्र'' अंकित कर निर्धारित तिथि व समय तक जमा करना होगा। निर्धारित दिनांक व समय के बाद प्रापत निविदाओं पर विचार नहीं होगा। उाक से प्राप्त निविदाऐं यदि निर्धारित दिनांक व समय पर नहीं पहुंचती है तो कार्यालय अति. निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, साधारण बीमा निधि, जयपुर उत्तरदायी नहीं होगा।

(6) निधारित समयावधि तक प्राप्त निविदाओं को दिनांक 26.05.2022 को प्रातः 11.00 बजे निविदाओं के लिफाफे को खोला जावेगा। इस हेतु गठित समिति/सक्षम अधिकारी द्वारा तकनीकी निविदाओं का परीक्षण किया जावेगा। सक्षम पाये जाने पर उनकी वित्तीय निविदाऐं खोली जावेगी। वर्क स्टेशन क्रय करने की आपूर्ति की निविदा के फार्म, निविदा शर्तें सहित निविदा प्रकाशन तिथि से किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में कैशियर कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एव प्रावधायी निधि विभाग, साधारण बीमा निधि, जयपुर कमरा नंबर 207 में 200/– नकद भुगतान कर दिनांक 25.05.2022 सायं 3:00 बजे तक कय किये जा सकते है।

अतिरिक्त निदेशक (सा.बी.यो.)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
जयपुर।

D:\Amit\Store\Work station\tender 1

Scanned with CamScanner

एस. आर. 11

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते है कि मैने/हमने जिन फर्निचर/ वर्कस्टेशन के लिए निविदा दी है उनका / उनके / मैं / हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरण/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेन्ट हूँ/है ।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/ हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर लिया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उस स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा ।

नोटः–संबंधित पर राईट का निशान लगावे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

निविदादाता का नाम
पूर्ण पता

टेलीफोन न0 (निवास)
(कार्यालय)

D:\Amit\Store\Work station\tender 1

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार
कार्यालय अतिरिक्त निदेशक,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
(साधारण बीमा निधि)
वित्त भवन, डी–ब्लॉक, द्वितीय तल, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर
PHONE : 2740219, 2740292 email:add.gis.sipf@rajasthan.gov.in

मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना हेतु कार्यालय उपयोग हेतु फर्नीचर/वर्कस्टेशन क्रय करने का तकनीकी निविदा प्रपत्र

1. निविदादाता का नाम व पूर्ण पता : ....

2. निविदा सूचना क्रमांक : ....

3. निविदा शुल्क रूपये 200/– जमा कराने का विवरण : ....

4. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय : ....

5. बिड प्रतिभूति (अमानत) राशि का विवरण : ....

6. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम <u>1958/इण्डियन</u> पार्टनरशिप एक्ट 1932 के <u>अन्तर्गत/इण्डियन</u> कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत फर्म का रजिस्ट्रेशन नम्बर/ : ....

7. जीएसटी पंजीयन क्रमांक (नियमानुसार) : ....

8. फर्म का पैन कार्ड नंबर : ....

मुझे इस निविदा की संलग्न समस्त शर्ते मंजूर है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम व पूरा पता

D:\Amit\Store\Work station\tender 1

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट–एफ

राजस्थान सरकार
कार्यालय अतिरिक्त निदेशक,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
(साधारण बीमा निधि)
वित्त भवन, डी–ब्लॉक, द्वितीय तल, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर
PHONE : 2740219, 2740292 email:add.gis.sipf@rajasthan.gov.in

कार्यालय मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना 'डी' ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जयपुर के कार्यालय उपयोग हेतु वर्क स्टेशन क्रय करने की दरों का वित्तिय निविदा प्रपत्र

वर्क स्टेशन क्रय करने की दरें भरकर निविदादाता के हस्ताक्षर करें तथा इस प्रपत्र को अलग लिफाफे में डालकर सील बन्द करें एवं लिफाफे पर मोटे अक्षरों मे "वित्तिय निविदा" अंकित करें। कार्य की दरें अंको व शब्दों में अंकित करें।

क्र. सं.	फर्नीचर का विवरण/ स्पेसिफिकेशन	अनुमानित मात्रा	अनुमानित लागत	समस्त कर एवं खर्चे सहित प्रति नग दर
1	supply and fixing of modular work station with partition 19mm to 32mm thickness BWP Board/ply/partical board with laminet of 1mm mica, one key board in sliding channel, Drawer 1 to 3 with openable door 12 mm designer tuffen glass all superior top quality brass fitting size (0.90 x 0.61x 1.22 x 0.90 mtr.) 12 mm high quality pin board with superior quality claoth. The fromt shutters matching with top Surface in quarter round post formed shutters and mounted on steel telescopic channels including necessary hardware godrej make (handle, locks) etc. per unit one pedistal	16	3.20 लाख	

1. दरें वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए ही मान्य होगी।
2. वर्क स्टेशन क्रय किया जाना है उसका नमूना/सैम्पल मांगे जाने अपने खर्चे पर विभाग को तीन दिवस में उपलब्ध करवाना होगा। विभागीय उपापन समिति द्वारा नमूने के अवलोकन/गुणवत्ता की जॉच के पश्चात ही उक्त सामग्री की आपूर्ति के आदेश दिये जायेंगे। अगर नमूना स्पेशिफिकेशन के अनुसार नहीं होगा तो विभाग द्वारा संबंधित फर्म को उक्त कार्यादेश नहीं दिया जायेगा एवं द्वितीय निविदादाता के सामान की गुणवत्ता पर विचार किया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम व पूरा पता

D:\Amit\Store\Work station\tender 1

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार
कार्यालय अतिरिक्त निदेशक,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
(साधारण बीमा निधि)
वित्त भवन, डी–ब्लॉक, द्वितीय तल, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर
PHONE : 2740219, 2740292 email:add.gis.sipf@rajasthan.gov.in

परिशिष्ट 'जी'

मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना हेतु कार्यालय उपयोग, डी ब्लॉक, वित्त भवन,जयपुर के कार्यालय उपयोग के लिए फर्नीचर कय करने की निविदा की शर्ते

निविदादाता को इन शर्तो को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिये तथा अपनी निविदायें भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए।

(अ) पात्रता (Eligibility Criteria) जो अनिवार्य है, के अभाव में निविदा निरस्त मानी जावेगी।

1. फर्म/कंपनी/संस्था/एजेन्सीज का पंजियन/रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
2. अमानत राशि के रूप में रू की डी.डी. निविदा फर्म के साथ संलग्न करनी होगी।
3. निविदाऐं दो अलग अलग सील बंद लिफाफों में प्रस्तुत की जावेगी। प्रथम लिफाफा प्री क्वालीफिकेशन बिड/तकनीकी बिड का होगा तथा दूसरा "वित्तीय बिड" के लिये होगा। तकनीकी बिड में सफल निविदादाता की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी। असफल निविदादाता की वित्तीय बिड नही खोली जायेगी।

4– प्रथम लिफाफे (प्री क्वालीफिकेशन बिड/तकनीकी बिड) में निम्न प्रपत्र रखे जायेगें :–

(क) फर्म/कंपनी/संस्था/एजेन्सीज का पंजियन/रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
(ख) अमानत राशि के रूप में राशि का डी.डी./बैकर चैक निविदा फर्म के साथ संलग्न करना होगा।
(ग) बिड निनिवदा शुल्क 200/– का बैंकर्स चैक/डीडी/रसीद संलग्न करनी होगी।
(घ) फर्म का पैन कार्ड नंबर के दस्तावेज।
(ड) जीएसटी पंजीयन का प्रमाण पत्र (नियमानुसार)।

4. दूसरे लिफाफे में केवल मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, 'डी' ब्लॉक, वित्त भवन, जयपुर कार्यालय उपयोग हेतु वर्क स्टेशन कय करने की वित्तीय बिड होगी जिसमें निविदादाता को अपनी दरें अंकों में एवं शब्दों में अंकित करनी होगी।
5. दोनों लिफाफे, तकनीकी बिड का सीलबंद लिफाफा तथा वित्तीय बिड का सीलबंद लिफाफो पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, 'डी' ब्लॉक, वित्त भवन, जयपुर के नाम होना चाहिए, साथ ही फर्म का नाम दूरभाष/मोबाइल नंबर भी अंकित होना आवश्यक है।

(ब) सामान्य नियम व शर्ते:–

1. निविदा देनी वाली फर्म को वर्क स्टेशन के नमूने मांगे जाने पर देने होगें।
2. स्वीकृत दरों के अलावा अन्य कोई व्यय देय नहीं होगी।
3. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व राज. लोक उपापन नियम 2013 की सभी शर्तो की पालना करनी होगी तथा वर्क स्टेशन कय करने की मात्रा/नमूने के

Scanned with CamScanner

अनुसार फर्म द्वारा समय पर आपूर्ति नहीं करने पर नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि काटी जायेगी।

4. समस्त दरें स्याही से भरी होनी चाहिये। पेंसिल या अन्य वस्तुओं से भरी गयी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. निविदा में दी गयी दर किसी भी परिस्थिति में बदली नहीं जायेगी। दरों का इन्द्राज अंकों के साथ–साथ शब्दों में भी किया जाना आवश्यक है।
6. फर्म द्वारा वर्क स्टेशन क्रय करने के संबंध में दिये गये आदेश/नमूने/मापदण्ड के अनुसार वर्क स्टेशन की आपूर्ति नहीं करने पर किसी भी समय अनुबंध/आदेश को भंग किया जा सकता है।
7. विभाग किसी भी निविदा को स्वीकृत करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है। यह आवश्यक नहीं है कि वह निम्न दर वाली निविदा को ही स्वीकार करें। वह किसी भी निविदा को उसके कारणों को बताये बिना रदद कर सकती है। निविदा द्वारा आमंत्रित की गई मात्रा या वस्तुओं में से प्रशासन के निर्णयानुसार उन संपूर्ण या आंशिक वस्तुओं का मात्रा के लिए आदेश दिये जा सकते है।
8. निविदादाता को संलग्न सभी प्रमाण–पत्र स्वप्रमाणित से प्रमाणित कर प्रस्तुत करने होंगे।
9. सर्वप्रथम तकनीकी बिड़ खोली जावेगी, जिसकी उपापन समिति जाँच करेगी। जाँच के परान्त जो निविदादाता तकनीकी बिड़ में योग्य पाये जावेंगे, उनकी ही वित्तीय बिड़ खोली जावेगी।
10. सफल निविदादाता को कार्य आदेश के जारी करने के सात दिवस में संविदा के 5 प्रतिशत की कार्य संपादन प्रतिभूति जमा करानी होगी तथा 500/– रू के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनकी दरें निरस्त कर दी जावेगी तथा बिड प्रतिभूति (अमानत राशि) जब्त कर दी जावेगी।
11. प्रतिभूति राशि को संतोषजनक सामान की आपूर्ति के 6 माह बाद निविदादाता के लिखित रूप से आवेदन करने पर लौटाई जावेगी।
12. अनुबंधित फर्म वर्क स्टेशन क्रय का कार्य किसी दूसरी फर्म को सबलेट नहीं करेगा अगर अनुबंधित फर्म द्वारा सबलेट किया गया तो ठेका निरस्त कर राशि जब्त कर ली जायेगी।
13. न्यूनतम दरों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर का होगा।
14. फर्म द्वारा आदेशानुसार वर्क स्टेशन आपूर्ति करने के पश्चात ही बिल भुगतान किया जायेगा। वह बिल दो प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा।
15. बिल का भुगतान स्टोर अनुभाग से प्राप्त रिपोर्ट स्टॉक इन्द्राज के आधार पर किया जायेगा।
16. सफल निविदादाता द्वारा बीच में आपूर्ती छोड जाती है या कार्य संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो ठेका निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
17. ठेके की अनुमोदित दर वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिये मान्य होगी।
18. किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर **निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर** द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा, जिसे ठेकेदार को मानना होगा।
19. सभी विवादों को न्यायक्षेत्र जयपुर होगा।
20. परिसमापित नुकसानी :– परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में , वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिये की जायेगी जिनका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा है : (इस संबंध में यदि कोई हो तो निविदा प्रपत्र में अंकित की गई शर्ते ही लागू होगी)।

(1)	(क)	विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए	2 ½%

D:\Amit\Store\Work station\tender 1

Scanned with CamScanner

	(ख)	एक चौथाई अवधि से अधिक किंतु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए	5%
	(ग)	आधी अवधि से अधिक कितु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए	7 ½%
	(घ)	विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए	10%

(2) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड दिया जायेगा।

(3) परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10% होगी।

(4) यदि प्रदायकर्ता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है किंतु वह उसके लिये निवेदन बाधा के गठित होने पर तुरंत उसी समय करेगा ना की प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(5) यदि माल का प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि मय वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

21. पैनल्टी की राशि फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल/प्रतिभूति राशि से काटी जावेगी।

22. यदि निविदादाता ऐसी शर्ते आरोपित करता जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जायेगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जायेगा। जब तक कि केता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित ना किया गया हो।

अतिरिक्त निदेशक,
साधारण बीमा निधि
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
जयपुर।

मैनें/हमने उपरोक्त सभी शर्तो का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया है तथा मैं/हम सभी शर्तो को मानने के लिये अपनी सहमति प्रदान करता हूँ/करते है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम ....

पूरा पता..

मोबाईल/टेलिफोन नं.......................

Scanned with CamScanner